न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/232/2013

उनवान

1. नन्दा आत्मज धन्ना कुमावत निवासी नई पारसोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मांगू पिता सेवा कुमावत मृतक के बजाय कायम मुकामः—
   1/1 पोखर पिता मांगू कुमावत निवासी नई पारसोली
   1/2 लादू पिता मांगू कुमावत निवासी नई पारसोली
   1/3 नानू पिता मांगू कुमावत निवासी नई पारसोली
   1/4 श्रीमती सोहनी पिता मांगू कुमावत निवासी नई पारसोली
   1/5 श्रीमती प्रेमी पिता मांगू कुमावत निवासी नई पारसोली
   1/6 श्रीमती जस्सु बेवा मांगू कुमावत निवासी नई पारसोली
   तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. उगमा पिता बालू कुमावत निवासी नई पारसोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. नानू पिता बालू कुमावत निवासी नई पारसोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. सोहन पिता बालू कुमावत निवासी नई पारसोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 104/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2011

अधिवक्तागण :—

1.श्री संजय सेन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण

2.श्री योगेश चौधरी,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 18.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा परासोली पटवार हल्का परसोली तहसील आसीन्द स्थित वादीगण की साबिक आराजी नम्बर 557/1 रकबा 2 बीघा आराजी नम्बर 839/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 839/4 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 842/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 843/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 844 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 845/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 846/1 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 849/2क रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा आराजी नम्बर 857/1 रकबा 19 बिस्वा, वादीगण के नाम जमाबंदी संवत 2032 से 2034 में दर्ज रेकार्ड है। तभी से वादीगण बहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण की उक्त आराजियात के भू प्रबन्ध के दौरान नये आराजी नम्बर 693 रकबा 0.17 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 694 रकबा 0.20 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 695 रकबा 0.05 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1424 रकबा 0.06 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1426 रकबा 0.03 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1429 रकबा 0.24 हे0, आराजी नम्बर 1430 रकबा 0.02 हे0, आराजी नम्बर 1432 रकबा 0.02 हे0 , आराजी नम्बर 1433 रकबा 0.20 हे0, आराजी नम्बर 1434 रकबा 0.19 हे0, आराजी नम्बर 1436 रकबा 0.22 हे0, आराजी नम्बर 1437 रकबा 0.26 हे0, आराजी नम्बर 1441 रकबा 0.14 हे0, आराजी नम्बर 1444 रकबा 0.15 हे0, आराजी नम्बर 1451

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 0.04 हे0, आराजी नम्बर 1453 रकबा 0.17 हे0, आराजी नम्बर 1454 रकबा 0.08 हे0, आराजी नम्बर 1455 रकबा 0.07 हे0, आराजी नम्बर 1456 रकबा 0.07 हे0 , आराजी नम्बर 1457 रकबा 0.21 हे0, आराजी नम्बर 1458 रकबा 0.14 हे0, आराजी नम्बर 1459 रकबा 0.10 हे0, आराजी नम्बर 1463 रकबा 0.06 हे0, आराजी नम्बर 1464 रकबा 0.21 हे0, आराजी नम्बर 1465 रकबा 0.18 हे0, आराजी नम्बर 1479 रकबा 0.10 हे0, आराजी नम्बर 2404/1456 रकबा 0.26 हे0, आराजी नम्बर 2557/1424 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 28 रकबा 3.65 हे0 कायम किये गये । भू प्रबन्ध विभाग ने वादीगण को नुकसान पहूँचाने की गरज से उक्त साबिक आराजी नम्बर 839/4 मीन रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1 के साबिक आराजी नम्बर 839/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में वर्तमान आराजी नम्बर में 0.12 हे0 में वादीगण का कम करके प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया । जिससे वादीगण अपनी साबिक आराजियात को राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कराते हुए खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण की साबिक आराजी नम्बर 839/4 मीन रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का हाल राजस्व रेकार्ड में कुल रकबा 1.22 हे0 दर्ज करना चाहिये जबकि वर्तमान रेकार्ड में 1.10 हे0 दर्ज है। जो कम करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के साबिक आराजी नम्बर 839/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा का वर्तमान रकबा 0.30 हे0, दर्ज होना चाहिये जबकि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 0.42 दर्ज है। जो वादीगण के साबिक रकबे के अनुसार 0.12 हे0 वर्तमान रेकार्ड में कम करके प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज कराते हुए घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की यथासमय अपीलार्थीगण को नहीं हो सकी थी क्योंकि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा में लंबित था एवं प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द में मुन्तकिल किया गया जिसकी कोई जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं थी। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने अधिवक्ता से कई बार सम्पर्क किया तो उन्होंनें सदैव आवश्यकता होने या बयान होने पर बुला लेने का आश्वासन दिया। जब प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी करने लगे तब जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होने पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलार्थी/प्रतिवादी ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया । जिस पर प्रकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काउण्टर क्लेम के जवाब हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में लंबित था। प्रत्यर्थीगण काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर लेते रहे जिस पर दिनांक 25.8.2011 को आगामी पेशी दिनांक 17.11.2011 को वास्ते जवाब काउण्टर क्लेम हेतु नियत थी किन्तु दिनांक 17.11.2011 को अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया के अनुसार जवाब दावा, तनकियात, साक्ष्य व बहस के बिना ही प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि साबिक आराजी नम्बर 839 का रकबा 11.14 बीघा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज था। जिसके अनुसार प्रत्यर्थीगण/वादीगण के हिस्से में कुल 5 बीघा 17 बिस्वा रकबा ही आता है किन्तु अधिकारियों की भूल व गलती से इस आराजी के बटा नम्बर कायम करते समय इसका रकबा आराजी नम्बर 839/4 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 839/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्रत्यर्थीगण का मौके पर 7 बीघा रकबे पर कभी भी कब्जा नही रहा है। बल्कि 5 बीघा 17 बिस्वा पर ही उनका कब्जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण के साबिक खाते में 7 बीघा के बजाय 5 बीघा 17 बिस्वा रकबा ही दर्ज कराया जाना आवश्यक है । इस 5 बीघा 17 बिस्वा रकबे से नवीन बन्दोबस्त में 1.25 हे0 रकबा ही बनता है। जो प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज रहना चाहिये उनके नाम पर 1.43 हे0 रकबा दर्ज कर दिया गया है जिसमें से 0.18 हे0 रकबा प्रत्यर्थीगण के खाते से कम कराया जाना आवश्यक है। उक्त रकबा जो प्रत्यर्थीगण के नाम पर साबिक रकबे व मौके के कब्जकाश्त की स्थिति के अनुसार उसमें से 0.14

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हे0 रकबा वर्तमान आराजी नम्बर 1441, 1444, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459 किता 10 रकबा 1.39 हे0 में अधिक दर्ज कर दिया गया जो हजारी पुत्र मोडा दादा गंगाराम के वारिसान माधु पत्र हजारी, जीवन, गोपाल पुत्र लुम्बा कुमावत निवासी नई परासोली के रकबे में से कम कर दर्ज किया गया जो पुनः हजारी पिता मोडा, दादा गंगाराम के वारिसान के नाम पर दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार वर्तमान आराजी नम्बर 1451 रकबा 0.04 हे0 प्रत्यर्थीगण के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दिया गया है यह आराजी नम्बर 1451 साबिक आराजी नम्बर 839/2 रकबा 1.18 बीघा मौके व नक्शे की स्थिति के अनुसार बनती है जो घीसा पित जोधा के वारिसान नानू, लादु, सुखा पिता बालु, बद्रीलाल, बंशीलाल पिता माधु कुमावत के नाम पर दर्ज किया जाना चाहिये । जिस हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन था। उक्त तथ्यों को अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अवगत करा दिया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि उक्त तथ्यों की राजस्व रेकार्ड के आधार पर जांच करने के उपरान्त निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नही होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि साबिक आराजी नम्बर 839 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा में अपीलार्थी के पूर्वज श्री धन्न पिता मोडा दादा गिरधारी जी का 1/6 हिस्सा दर्ज था जिसके अनुसार उनके हिस्से में 1 बीघा 19 बिस्वा रकबा आता है किन्तु अधिकारियों की भूल व गलती से 1 बीघा 09 बिस्वा रकबा ही बटा नम्बर कायम करते समय आराजी नम्बर 839/3 के रूप में धन्ना जी के न ाम पर दर्ज किया गया है जो गलत है। यह 10 बिस्व रकबा प्रत्यर्थीगण की साबिक आराजी नम्बर 839/4 व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

839/1 कुल किता 2 रकबा 7 बीघा से कम कराया जाना आवश्यक है लेकिन उक्त आराजी नम्बर 839 रकबा 11 बीघा 14 बिस्व साबिक जमाबंदी संवत 1984 में उक्त सभी के शामिल मे थी और उक्त आराजी का सहमति से कभी भी किसी भी न्यायालय में बंटवाडा नहीं हुआ है एवं न ही इस बाबत कोई डिक्री पारित की गई है। इस बाबत तहसील के राजस्व रेकार्ड में भी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। इसी अनुसार नवीन बन्दोबस्त में प्रत्यर्थीगण के नाम पर जो आराजी किता 10 रकबा 1.39 हे0 के रूप में दर्ज किया गया है उसमें से 0.14 हे0 रकबा कम कराया जाना आवश्यक है। साबिक वास्तविक रकबे 1 बीघा 19 बिस्वा से धन्ना जी के वारिस अपीलार्थी नन्दा के नाम पर जो आराजी नम्बर 1452 रकबा 0.42 हे0 दर्ज हिकया गया है वह सही तौर से दर्ज किया गया है। जिसे किसी भी अवस्था में कम नहीं किया जा सकता है। प्रत्यथी ने अपीलार्थी के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 1452 रकबा 0.42 हे0 की दो बार पत्थरगढी कराई जिसके अनुसार अपीलार्थी का कब्जाकाश्त सही पाया गया । प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी की आराजी में दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी की आराजी पर कराई गई पत्थरों की कोट को भी गिरा दिया जिस पर प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अपीलार्थी ने थाना आसीन्द में एक मुकदमा भी दर्ज कराया है। इन सभी तथ्यों को अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

8. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का निवेदन किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपने वाद को पर्याप्त दस्तावेजात , राजस्व रेकार्ड से साबित कराया था। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर बाद विचारण जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर भू प्रबन्ध के दौरान वादीगण के रकबे को कम कर प्रतिवादी की वादग्रस्त आराजी में मिला दिये जाने के कारण प्रतिवादी का रकबा कम कर वादीगण के रकबे की पूर्ति कर राजस्व नक्शे में दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 30.7.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब काउण्टर क्लेम एवं प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब दावा प्रस्तुत किया जाना था। पत्रावली की फर्द अहकाम के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 9.9.2010 तक प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा से उपखण्ड अधिकारी आसीन्द में स्थानान्तरित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर दिया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि इसकी सूचना अपीलार्थी को नहीं थी। उनके अधिवक्ता द्वारा भी अपीलार्थी को प्रकरण के स्थानान्तरण होने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जिससे अपीलार्थी/प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रकरण में विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को वादी का जवाब दावा काउण्टर क्लेम लिये जाने के उपरान्त तनकियात कायम करनी चाहिये थी एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड, के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को तनकिवाईज गुणागवुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। परन्तु दिनांक 25.8.2011 की फर्द अहकाम में पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17.11.2011 को पेश होने का अंकन है। उसके बाद कोई भी फर्द अहकाम नहीं लिखी गई। सीधे निर्णय दिनांक 17.11.2011 ही पत्रावली में उपलब्ध है। जिसमें निर्णय लोक अदालत में सुनाये जाने का अंकन है। परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता की पालना पत्रावली में नहीं की गई है। न्यायहित में उभयपक्षों को अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर तनकियात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात, प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना था। पत्रावली में लोक अदालत का कोई नोटिस भी संलग्न नहीं है। जिससे नैसर्गिक न्याय की पालन होना सिद्ध नही होता है। चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाना वांछित होता है। परन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2011 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28/12/18 को उपस्थित रहें।

13. निर्णय आज दिनांक 18.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

18/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा